

3

C/10/23
26/12/2015

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C. No. of 2015

Mahorama DeviPetitioner

Versus

The State of Bihar and othersOpposite Parties

Sub:- Anganwari Sevika (Dismissal)

I N D E X

S. No.	PARTICULARS	Pages
1.	Application under Article 226 of the Constitution of India with affidavit	1-6
2.	Annexure-1 A true photo copy of the Selection letter dated 04.11.2004	7
3.	Annexure-2 A true photo copy of the order dated 02.03.2013	- 8-9
4.	Annexure-3 A true copy of the order dated 17/11/2014	— 10-12
5.	Annexure-4 A true copy of the letter dated 09.12.2014	— 13
6.	Annexure 5 A true copy of the letter dated 09.01.2015	— 14-15
	Vakalatnama	

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C. No. of 2015

Mahorama Devi Petitioner

Versus

The State of Bihar and others Opposite Parties

SYNOPSIS

This application is being filed for issuance of appropriate writ/writs, order/orders, direction/directions with regard to comply the order dated 17.11.2014, passed by the Respondent No. 4, in Anganwari Appeal Case No.4-75/2013 as contained in Annexure 3, and the petitioner be permitted to join forthwith on the post of the Anganwari Sevika for Musahari Tola Centre within Rajaganj Panchayat Block Bihariganj, District Madhepura, with all consequential benefits

.Hence this writ

315

GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION EXCISE & PROTECTION DEPT.
PATNA SCOUR PATNA
COURT FEE
Authorization No. 2674



STAMP DUTY
00000
Rs. 0000315
375448
INDIA

बिहार
JUDICIAL
26.2.2015
BIHAR

Filed through
Sachin Kumar Singh
Advocate
A/R No - 01838 3484 B428531

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
(CIVIL WRIT JURISDICTION)

C.W.J.C. No. _____ of 2015

In the matter of an application under Article 226
of the Constitution of India

AND

In the matter:-

Manorama Devi, wife of Sanjay Kumar @ Sanjay Prasad Yadav, Resident of Musahari Tola, Village
and Panchayat Rajaganj, Block Bihariganj, District Madhepura.

.....Petitioner

VERSUS

1. The State of Bihar through the Directorate, Integrated Child Development Services Government of Bihar, Patna
2. The Director, Integrated Child Development Services, Government of Bihar, Patna
3. The Divisional Commissioner, Koshi Range Saharsa,
4. The Deputy Director Welfare, Koshi Range, Saharsa.
5. The District Magistrate, Madhepura,
6. The District Program Officer, Madhepura.
7. The Child Development Project Officer, Bihariganj, Madhepura.

.....Respondents

The humble petition filed on behalf of the
above named petitioner,

DATES OF EVENTS

- 04.11.2004:- The petitioner was earlier selected for the post of Anganwari Sevika vide Selection Letter bearing Memo No. 294 dated 04.11.2004.
- 15.12.2012:- An inspection was made by the Respondent Child Development Project Officer Bihariganj Madhepura at the petitioner's Anganwari Centre No. 45 situated at Musahari Tola.
- 02.03.2013:- This petitioner has been dismissed from the post of Anganwari Sevika, by a common order dated 02.03.2013.
- 17.11.2014:- The petitioner filed an appeal against the order dated 02.03.2013 and the aforesaid Appeal was heard by the Respondent No. 4, and after hearing the parties, had been pleased to allow the same and thereby set aside the order passed by the Respondent No 6, by a reasoned and speaking order Dated 17/11/2014.
- 09.12.2014:- The petitioner waited for her joining, however ultimately on 09.12.2014, she filed an application before the Respondent No. 6, who allow her to join at the centre. But since then no order has been passed by the Respondent No. 6 or 7 for compliance of the order dated 17.11.2014, as contained in Annexure 3.
- 09.01.2015:- After getting no response from the Respondent No. 6 and 7, the petitioner filed an application dated 09.01.2015, before the Respondent No. 2, and a copy of the same has also been sent to the Respondent No. 4, but till date nothing has been done with regard to the compliance of the order dated 17.11.2014, as contained in Annexure 3

Hence this writ

2

To,

The Hon'ble Mr. Justice L. Narasimha Reddy, the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and his companion justices of the said Hon'ble Court.

MOST RESPECTFULLY SHEWETH:-

1. That this application is being filed for issuance of appropriate writ/writs, order/orders, direction/directions with regard to the following reliefs:-
 - I) The Respondent authorities be directed to comply the order dated 17.11.2014, passed by the Respondent No. 4, in Anganwari Appeal Case No.4-75/2013.
 - II) The petitioner be permitted to join forthwith on the post of the Anganwari Sevika for Musahari Tola Centre within Rajaganj Panchayat Block Bihariganj, District Madhepura, with all consequential benefits
 - III) To any other relief/reliefs as your lordships may deem fit and proper in the facts and circumstances of the case.
2. That the petitioner prays for the above mentioned relief/reliefs on amongst the following -

GROUND:

- I. For that the act of the Respondent No. 6 and 7 is bad in law as well as the facts of the case.
- II. For that the Respondent No. 6 and 7 are duty bound to comply the order dated 17.11.2014 as contained in Annexure 3 but reason best known to them they are intentionally not complying the same.
- III. For that the Respondent No. 6 and 7 have intentionally ignored the guidelines and the directions of the ICDS, which is not at all permissible and also not appreciable in the eyes of law.
- IV. For that the act of the Respondent authority is violative of the rights guaranteed under the Constitution of India.
- V. For that the act/omission of the Respondents is highly arbitrary, unjust, and against the principles of natural justice, hence cannot be appreciable in the eyes of law.

3

VI. For that the petitioner reserves his right to take other more good ground/grounds with the permission of this Hon'ble Court.

3. That the petitioner is a citizen of India and resides within the territorial jurisdiction of this Hon'ble court.
4. That it is submitted that the petitioner was earlier selected for the post of Anganwari Sevika vide Selection Letter bearing Memo No. 294 dated 04.11.2004 and since then she was serving with full satisfaction of the concerned beneficiaries of the nutritional area as well as satisfaction to the authority and there were no complaint with regard to any deficiency in the service on the part of the petitioner and also successfully completed 4 days Training in the year 2005 and 30 days training in the year 2006.

A true photo copy of the selection letter dated 04.11.2004, is annexed hereto and marked as Annexure 1

5. That it is submitted that on 15.12.2012 an inspection was made by the Respondent Child Development Project Officer Bihariganj Madhepura at the petitioner's Anganwari Centre No. 45 situated at Musahari Tola and subsequently a totally false report was submitted by her before the Respondent District Program Officer where in it has been alleged that the petitioner was not providing the daily ration to the Sahayika for cooking the meals and further alleged that the petitioner has shifted the centre from one place to another place without getting prior permission from the authority. It is further alleged that the condition of the centre was worst and the Display Board of the centre was there but the script over the same was not readable. And hence the inspecting authority suggested to dismiss the petitioner and the petitioner was directed to appear in the chamber of the Respondent No. 6 along with her explanation/show cause.
6. That it is submitted that the petitioner appeared before the Respondent No. 6 and submitted the real fact and denied the allegations but the Respondent No. 6 without considering the explanation/show cause, dismissed this petitioner from the post of Anganwari Sevika, by a common order dated 02.03.2013.

A true photo copy of the order dated 02.03.2013 is annexed hereto and marked as Annexure 2.

4

7. That, it is submitted that from the bare perusal of the common order dated 02/03/2013 it is apparent that, the same has been passed with an ulterior motive, and arbitrarily by the Respondent no.6, on the recommendations of Respondent No.7.
8. That it is further evident from the order that some other Sevikas, having similar allegations have been punished only with recovery of Posahar Rashi (amount) i.e. minor punishment, whereas, for almost a similar allegation, the petitioner has been awarded with major punishment, i.e. removal from the service.
9. That it is submitted that the aforesaid order has been passed in gross violation of the letter No. ICDS/35010/1-2012/2120 dated 20.06.2012, issued by the Directorate ICDS, Patna (Respondent No. 2), wherein uniformity of action has been directed against an irregularity of the similar nature
10. That it is submitted that being aggrieved and dissatisfied with the order dated 02.03.2013 the petitioner filed Anganwari Appeal No. 4-75/2013, and denied the allegations and submitted that 15.12.2012 was the Take Home Ration (THR) distribution day and hence the petitioner was distributing the THR among the beneficiary and none of the beneficiary had made any complaint but due to ulterior motive and maliciously the concerned Child Development Officer made a totally false fabricated inspection report in which allegation was leveled against this petitioner but the concerned Sahayika by filing an affidavit denied the same and submitted that she is fully satisfied with the act of the petitioner, and the allegation was leveled due to local dirty politics. It is further submitted by the petitioner that the Display Board is very Old and due to which the script became feint which will be cleaned by them.
11. That it is submitted that the aforesaid Appeal was heard by the Respondent No. 4, and after hearing the parties, had been pleased to allow the Appeal and thereby set aside the order passed by the Respondent No 6, by a reasoned and speaking order Dated 17/11/2014
A true copy of the order dated 17/11/2014 is annexed herewith and marked as Annexure-3
12. That it is submitted that even after passing of the aforesaid order the petitioner waited for her joining, however ultimately on 09.12.2014, she filed an application before the Respondent No. 6, who allow her to join at the centre. But since then no order has been passed by the Respondent No. 6 or 7 for compliance of the order dated 17.11.2014, as contained in Annexure 3

5

A true copy of the letter dated 09.12.2014 is annexed herewith and marked as Annexure 4

13. That it is submitted that after getting no response from the Respondent No. 6 and 7, the petitioner filed an application dated 09.01.2015, before the Respondent No. 2, and a copy of the same has also been sent to the Respondent No. 4, but till date nothing has been done with regard to the compliance of the order dated 17.11.2014, as contained in Annexure 3.

A true copy of the letter dated 09.01.2015 is annexed herewith and marked as Annexure 5

14. That it is submitted that the Respondent No. 6 and 7 for some extraneous consideration, are flouting the order passed by the Respondent No. 4.
15. That the acts of the respondents are highly arbitrary, unjust and illegal.
16. That it is further submitted that the petitioner has no other alternative remedy is available save and except to invoke the writ jurisdiction of this Hon'ble Court.
17. That the petitioner has not moved earlier before this Hon'ble court for the relief as prayed in this application.

It is therefore prayed that your Lordships may graciously be pleased to issue rule NISI, call for the records, asking/calling the respondents to show cause as to why the relief/reliefs sought for in this application may not be granted and after hearing the parties be pleased to make the same absolute against the respondents allowing this writ application

AND /OR

Pass such other order/orders as your Lordships may deem fit and proper in the facts and circumstances of the case

And for this the petitioner shall ever pray.

6

AFFIDAVIT

I, Manorama Devi, aged about 41 years, wife of Sanjay Kumar @ Sanjay Prasad Yadav, Resident of Musahari Tola, Village and Panchayat Rajaganj, Block Bihariganj, District Madhepura, do hereby solemnly affirm and say as follows:-

1. That I am the petitioner in this case and as such am fully acquainted with the facts and circumstances of the case.
2. That the contents of this petition have been read over and explained to me in Hindi and I have understood the same.
3. That the statements made in the paragraph No.3,5(P),7,8,10,12 to 16 are true to my knowledge and those made in paragraph No. 4,5(P),6 and 11 are true to my information derived from the records and the rest are by way of submission to this Hon'ble court.
4. That the annexure are true photo copies of their respective original.

मनोरमा देवी

Annexure - 1

(3)

बाल विकास परियोजना कार्यालय उदाकिशुनगंज (मधेपुरा)
चयन-पत्र

जापांक 294 उदाकिशुनगंज,

दिनांक 2/11/98

प्रेषित,

श्रीमति मन्जु देवी पद का नाम-आंगनवाडी सेविका/सहायिका

पति : श्री संजय कुमार.....

ग्राम+पंच राजवंश पंच - निहरीगंज

थाना निहरीगंज, 4.....

प्रखण्ड - उदाकिशुनगंज, मधेपुरा

विभागीय पत्रांक 1129 दिनांक 13.06.98 के निर्देशानुसार दिनांक 2/11/98 को आयोजित आम सभा में चयन समिति द्वारा आपका चयन आंगनवाडी केंद्र उदाकिशुनगंज में आंगनवाडी सेविका/सहायिका के पद पर किया गया है। यह चयन बिल्कुल अस्थायी है। कार्य असंतोष जनक रहने पर आपका चयन कभी भी समाप्त किया जा सकता है। इस कार्य के एवज में सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय का भुगतान देय होगा। किसी भी स्थिति में इन्हे चयन ही समझा जाय, नियुक्ति नहीं, इसके लिए आप किसी भी तरह का सरकारी दवा नहीं कर सकता है। निर्देशानुसार प्रशिक्षण में योगदान की तिथि से ही मानदेय देय होगा।

अतएव पत्र निर्दिष्ट तिथि के एक सप्ताह के अन्दर चिकित्सा प्रमाण पत्र का मूल प्रमाण-पत्र तथा हाल का टी पासपोर्ट साईज फोटो के साथ अध्याहस्ताक्षरी के कार्यालय में योगदान है। इसके लिए किसी भी प्रकार का नोत्रा भत्ता देय नहीं होगा। निर्धारित तिथि को योगदान नहीं करने पर आपका चयन रद्द कर दिया जायेगा।

2/11/98
बालविकास परियोजना पदाधिकारी
उदाकिशुनगंज (मधेपुरा)

समाहरणालय, मधेपुरा

(जिला प्रोग्राम शाखा)

Annexure - 2 - 8

--: आदेश :-


समाज कल्याण विभाग, आई०सी०डी०एस० निदेशालय, बिहार पटना के पत्रांक-3023, दिनांक-10.10.2007, द्वारा प्राप्त निदेश जिसमें प्रत्येक माह के 15वीं तारीख को प्रत्येक अँगनवाड़ी केन्द्र पर छः माह से तीन वर्ष के बच्चों/गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को घर ले जाने के लिए पूरक पोषाहार वितरण करने का प्रावधान है। विभागीय प्रावधान एवं निदेश के आलोक में निर्धारित तिथि को जिलान्तर्गत सभी परियोजना के अँगनवाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण करने हेतु जिला एवं प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी को THR के निरीक्षण करने हेतु पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया। प्रतिनियुक्त पदाधिकारी द्वारा दिनांक- 15.12.2012, को विभिन्न अँगनवाड़ी केन्द्र पर चल रहे ट.ए. होम राशन वितरण का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के क्रम में THR वितरण में सेविका द्वारा अनियमितता बरते जाने से संबंधित प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय वेशम में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु विधिवत नोटिस भेजा गया। उक्त नोटिस के आलोक में संबंधित सेविका द्वारा अपना पक्ष अधोहस्ताक्षरी के समक्ष रखा गया। सुनवाई के समय उपस्थित संबंधित सेविका के लिखित स्पष्टीकरण के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नांकित विवरणी के अनुरूप अधोहस्ताक्षरी द्वारा कॉलम-06 में आदेश निर्गत किया जाता है:-

क्र०	परियोजना का नाम	सेविका का नाम	केन्द्र संख्या	जाँच पदाधिकारी का पदनाम/जाँच प्रतिवेदन की विवरणी	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का आदेश
1	2	3	4	5	6
1	बिहारीगंज	मनोरमा देवी	45	सेविका, सहायिका को दैनिक पोषाहार बनाने हेतु सामग्री नहीं देती है। अपने मन से दैनिक पोषाहार बनाती है सेविका अपने मन से केन्द्र का स्थानांतरण की है जो T.H.R. निरीक्षण के क्रम में देखा गया। केन्द्र की स्थिति जर्जर है साईन बोर्ड केन्द्र पर लगा परन्तु लिखावट स्पष्ट अंकित नहीं था। उक्त आरोप में सेविका को चयन रद्द करने की अनुशंसा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बिहारीगंज के द्वारा की गई है।	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के अनुशंसा एवं सेविका द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर सम्यक विचारोपरान्त स्पष्ट होता है कि सेविका द्वारा केन्द्र संचालन में घोर लापरवाही एवं अनियमितता बरती गई है अतः सेविका को चयन मुक्त किया जाता है।
2	बिहारीगंज	वीणा देवी	41	सेविका द्वारा सहायिका को दैनिक पोषाहार की सामग्री नहीं दिया जाता है सेविका पोषाहार अपने घर में तैयार कर लेती है T.H.R. वितरण किया जा रहा था जुलाई के T.H.R. वितरण पंजी से पता चलता है कि सेविका पोषक क्षेत्र से बाहर के लाभार्थी को वितरण करती है जो अनियमितता है। अनियमितता के आरोप में सेविका को चयन मुक्त करने की अनुशंसा बाल	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के अनुशंसा एवं सेविका द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर सम्यक विचारोपरान्त स्पष्ट होता है कि सेविका द्वारा केन्द्र संचालन में घोर लापरवाही एवं अनियमितता बरती गई है अतः सेविका को चयन मुक्त किया जाता है।

१


				विकास परियोजना पदाधिकारी, बिहारीगंज के द्वारा की गई है।	9
3	घोसा	प्रतिमा सिंह	107	मात्र 02 बच्चे पोशाक में थे। पोषाहार 3/4 मात्रा में बना था। 1148/- रू0 की वसूली की अनुशंसा की जाती है।	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के अनुशंसा एवं सेविका द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर समयक विचारोपरान्त स्पष्ट होता है कि सेविका द्वारा लापरवाही बरती गई है अतः सेविका का माह दिसम्बर 2012 का पोषाहार राशि 1148/- रू0 की वसूली का आदेश दिया जाता है।
4	घोसा	रीना कुमारी	115	T.H.R. वितरण में अनियमितता बरती गई है लाभको से पुछताछ से पता चला कि लाभको को 1/2 किलो ग्रा0 दाल का वितरण किया गया है 1120/- रू0 की वसूली की अनुशंसा की जाती है।	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के अनुशंसा एवं सेविका द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर समयक विचारोपरान्त स्पष्ट होता है कि सेविका द्वारा लापरवाही बरती गई है अतः सेविका का माह दिसम्बर 2012 का पोषाहार राशि 1120/- रू0 की वसूली का आदेश दिया जाता है।
5	उदाकिशुनगंज		85	T.H.R. वितरण कम मात्रा में किया जा रहा था।	सेविका द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर समयक विचारोपरान्त स्पष्ट होता है कि सेविका द्वारा लापरवाही बरती गई है अतः सेविका को कड़ी चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में इस प्रकार लापरवाही नहीं बरती जाय।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।


जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,
मधेपुरा

ज्ञापांक-...111-2.../दिनांक-...6.2./...23.../2013

प्रतिलिपि:- संबंधित सेविका को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- अनुमण्डल पदाधिकारी मधेपुरा/उदाकिशुनगंज को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि:- आयुक्त के सचिव, कोशी प्रमण्डल सहरसा, को सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपि:- निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, बिहार पटना को सूचनार्थ समर्पित।


जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,
मधेपुरा

Ex-24

18/11/2014 18/11/2014 18/11/2014 18/11/2014

Annexure-3

अनुसूची 14-फारम सं- 462

10

आदेश पत्रक


(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक - ता०..... तक

जिला..... सं०..... सन् 16.....

उप का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या की सं. तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित 3
	<p align="center">न्यायालय, उप निदेशक कल्याण, कोशी प्रमंडल, सहरसा</p> <p align="center">ऑगनबाड़ी अपीलवाद सं०- 4-75/2013</p> <p align="center">अपीलार्थी - मनोरमा देवी बनाम</p> <p align="center">रेस्पण्डेन्ट - राज्य सरकार व अन्य</p> <p align="center">:- आदेश :-</p> <p>प्रश्नगत अपीलवाद निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी मधेपुरा द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध स्थानान्तरित होकर न्यायालय में दायर किया गया है। इस अपीलवाद में मामला यह है कि ऑगनबाड़ी केन्द्र सं० 45 परियोजना बिहारीगंज (मधेपुरा) का आई०सी०डी०एस० निदेशालय बिहार पटना के निर्देश के अनुपालन में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी सी०डी०पी०ओ० द्वारा दिनांक 15.12.2012 को विभिन्न केन्द्रों पर टेक होम राशन वितरण का निरीक्षण किया गया।</p> <p>निरीक्षण के क्रम में सी०डी०पी०ओ० राघोपुर द्वारा केन्द्र संख्या 45 परियोजना बिहारीगंज में अनियमितताएँ पाई गई जो निम्न है :- सेविका/राहायिका को दैनिक पोषाहार बनाने हेतु सामग्री नहीं देती है। अपने मन से दैनिक पोषाहार बनाती है, अपने मन से केन्द्र का स्थानान्तरण की है। केन्द्र की स्थिति जर्जर है साईन बोर्ड लगा हुआ है किन्तु लिखावट स्पष्ट अंकित नहीं। यही आरोप लगाकर संबंधित केन्द्र की सेविका को चयन मुक्त करने की अनुशंसा सी०डी०पी०ओ० बिहारीगंज द्वारा की गई।</p> <p>सी०डी०पी०ओ० बिहारीगंज के अनुशंसा एवं सेविका द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण देने के बावजूद भी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने अपने ज्ञापक 149-2 दिनांक 02.03.2013 द्वारा संबंधित सेविका मनोरमा देवी को चयन मुक्ति आदेश निर्गत कर दिए।</p> <p>इस अपीलवाद की सुनवाई इस न्यायालय में की गई जिसमें अपीलार्थी के अधिवक्ता/सरकारी अधिवक्ता ने अपना-अपना पक्ष कागजात, एवं सबूत पेश किए।</p>	



GOVT. OF BIHAR
DEPARTMENT OF JUDICIAL SERVICES
SAHARSA SCORE SAHARSA
COURT FEE
Authorisation No. 3073
INDIA
375265
BIPART
JUDICIAL
6715 9125150

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी मधेपुरा का आदेश पूर्णतया गलत व नैसर्गिक न्याय के विपरीत है। उन्हें अपने पक्ष में बताया कि निरीक्षण तिथि T.H.R वितरण दिवस था। दिनांक 15.12.2012 को सेविका/सहायिका अपने केन्द्रों पर केन्द्रों के लाभुकों के बीच T.H.R वितरण निर्धारित मात्रा में की है, कोई भी लाभुक ने T.H.R वितरण में कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई है बावजूद बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ने पूर्व से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर यह आरोप लगाया कि सेविका/सहायिका को पोषाहार बनाने हेतु सामग्री नहीं देती है, साक्ष्य के तौर पर उन्होंने केन्द्र की संबंधित सहायिका का लिखित बचाव नोटरी पब्लिक मधेपुरा का कागजात को प्रस्तुत किया कि जिसमें सहायिका ने यह उल्लेख किए हैं कि मैं केन्द्र की सेविका मनोरमा देवी के क्रियाकलाप से पूर्ण संतुष्ट हूँ मैं किसी भी जाँच पदाधिकारी को सेविका के बारे में कोई भी लिखित एवं मौखिक शिकायत नहीं की हूँ। सेविका के विरुद्ध लगाया गया आरोप गंदी राजनीति का परिणाम है। उक्त लिखित बयान जो नोटरी पब्लिक मधेपुरा द्वारा निर्गत है, अवलोकन कराया गया।

इसके साथ अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि निर्धारित दिवस T.H.R वितरण के दिन सेविका निर्धारित मात्रा में लाभुकों को चावल, दाल का पैकेट बनाकर दे रही थी, उसी वक्त सी0डी0पी0ओ0 विहारीगंज केन्द्र पर आई लाभुक से पूछताछ की किन्तु किसी भी लाभुक ने अनियमितताएँ बरते जाने की शिकायत नहीं की सब कुछ सामान्य पाकर वापस चली गई, बाद में नगदंत आरोप लगाकर जाँच प्रतिवेदन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को समर्पित की। किसी भी लाभुकों का लिखित बयान उन्होंने नहीं लिया उन्होंने यह भी बताया कि यह आरोप भी निराधार है कि सेविका, सहायिका को दैनिक पोषाहार बनाने हेतु सामग्री नहीं देती है, क्योंकि सहायिका ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। जहाँ तक केन्द्र स्थानान्तरण की बात है वह भी निराधार है, केन्द्र निर्धारित स्थल पर चल रहा है, विभाग से मिला साईन बोर्ड वर्षों पुराना हो जाने के कारण लिखावट धूँधला है, जिसे साफ दिखने लायक करा लिया जाएगा।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने इस बात की ओर भी ध्यान आकृष्ट कराया कि चयन मुक्ति आदेश का संयुक्त पत्र 149-2 दिनांक 02.03.2013 में क्रमांक 3 पर प्रतिमा सिंह (सेविका) क्रमांक 4 पर रीना कुमारी (सेविका) एवं क्रमांक 5 स्पष्ट नहीं है। क्रमांक 3 से क्रमांक 5 की सेविका के विरुद्ध गंभीर आरोप है, जिनमें पोषाहार की मामूली राशि वसूलकर और चेतावनी देकर दण्ड दिया गया, जबकि क्रमांक 1 के अपीलार्थी सेविका मनोरमा देवी पर तो भी T.H.R वितरण में अनियमितता बरतने संबंधी कोई भी आरोप नहीं है, फिर भी कठोर दण्ड चयनमुक्ति का दिया गया, जबकि इस संबंध में कल्याण विभागीय पत्रांक 2012/2120 दिनांक 20.06.2012 में कहा गया कि केन्द्रों की जाँच के पश्चात् एक सामान परिस्थिति में एक जैसा निर्णय एवं कार्रवाई की जानी चाहिए जो निम्न न्यायालय प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा नहीं दिया गया। गंभीर आरोप वाले केन्द्रों की सेविका को

GOVT. OF BIHAR

STAMP DUTY

भारत

0 0 0 0

भारत

Authorisation No. 3073

INDIA

375265

BHAR

6720 9318820

लघुतम वसूली एवं चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, जबकि अपीलार्थी को कठोरतम दण्ड वह भी चयनमुक्ति का।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि यह भी अवलोकन कराया कि सी0डी0पी0ओ0 बिहारीगंज एवं महिला पर्यवेक्षिका द्वारा प्रत्येक माह केन्द्र का निरीक्षण किया गया एवं केन्द्र को सही एवं सुचारु रूपेण संचालित पाया गया जिसकी माहवार विवरणी विभाग को भेजा गया है, जिसमें यह स्पष्ट है कि केन्द्र के संचालन में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई है, इसके बावजूद भी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा कठोरतम एवं दंडात्मक दंड अपीलार्थी को दिया गया है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी अवलोकन कराया कि विभागीय पत्रांक 2012/2120 दिनांक 20.06.2012 में कंडिका 11 (8) में अंकित है, T.H.R दिवस में T.H.R की मात्रा अगर पूर्ण है लेकिन अन्य गड़बड़ियां हैं तो सेविका को कड़ी चेतावनी एवं सुधार का एक मौका दिया जायेगा। किन्तु अपीलार्थी सेविका श्रीमती मनोरमा देवी पर ऐसी भी बातें T.H.R वितरण में नहीं हैं, फिर भी अन्य आरोप लगाकर दण्ड मुक्ति आदेश दिया गया है, जो सर्वथा गलत है, नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है।

उपरोक्त सारे निष्कर्षों एवं विवेचनाओं के आधार पर यह न्यायालय निष्कर्ष पर पहुँची कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी मधेपुरा का आदेश न्यायिक दृष्टि से काफी दुर्बल व तथ्यहीन है, जिसे खंडित करते हुए निरस्त किया जाता है, इसमें कहीं भी नैसर्गिक न्याय का पालन भी नहीं हुआ है। यह न्यायालय उस आदेश इपांक 149-2 दिनांक 02.03.2013 को निरस्त करती है तथा सेविका मनोरमा देवी से अनुरोध करती है कि वे अपने दायित्वों को Seriously एवं Responsibility तरीके से करेंगी, अन्यथा भविष्य में कार्य में कोताही व अनियमितताएँ करने पर कठोरतम दण्ड की भागी होगी।

लेखापित एवं संशोधित

उप निदेशक, कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा

उप निदेशक, कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा

प्रमाणित प्रतिलिपि

शप अरोलुय 18/11/2014

कलियेखपात्र,

अपेक्षित न्यायालय

क. न्यायालय, सहरसा

पत्रांक 18/11/2014

दिनांक 18/11/2014

उपनि
18/11/2014

GOVT. OF BIHAR
SHARSA SOORE SHARSA
COURT FEE
Authorisation No: 5079
भारत
STAMP DUTY
00000
18.11.2014
BIHAR
JUDICIAL
6727 4517801

सेवा में,

श्रीमान् जिला प्रोग्राम पदाधिकारी,
मधेपुरा ।

Amexure-4
13

विषय :- आंगनवाड़ी अमील वाद संख्या- 475/2013 में न्यायालय उप-निदेशक कल्याण, कोशी प्रमण्डल, तहरता के द्वारा पारित आदेश दिनांक 17-11-2014 के आलोक में योगदान लेकर केन्द्र क्रियाशील करने के सम्बन्ध में ।

सहाय्य;

सविनय निवेदन है कि मैं मनोरमा देवी पति संजय कुमार, ताकिन-राजंज, पो0- विहारगंज, धाना- विहारगंज, जिला-मधेपुरा की निवासी हूँ । विहारगंज परियोजना अन्तर्गत आंगनवाड़ी केन्द्र संख्या 45 की चयनित लेखिका थी, श्रीमान् के आदेश ज्ञापक 149-2 दिनांक 02-03-13 से चयन मुक्त किया गया था । पिछले विस्द न्यायालय उप-निदेशक कल्याण, कोशी प्रमण्डल, तहरता के तमझ अमील वाद के अमील वाद संख्या- 475/13 में दिनांक 17-11-2014 को आदेश पारित करते हुए चयन मुक्त आदेश को निरस्त कर मेरे चयन को बरकरार रखते हुए कार्य करने का आदेश दिया गया जो आदेश की प्रति मुझे प्रभारी पदाधिकारी त्रिधि, मधेपुरा के डी0 वी0 नं0 529 दिनांक 21-11-2014 से प्राप्त हुआ तथा विभाग को भी प्राप्त है । तदनुस्य मैं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, विहारगंज के कार्यालय में अपना योगदान देने गई किन्तु न्यायालय के आदेश/निर्देश के आलोक में योगदान लेकर केन्द्र को क्रियाशील नहीं किया जा रहा है ।

अतः निवेदन है कि अमीलीय न्यायालय के द्वारा अमील वाद संख्या 475/13 में पारित आदेश के आलोक में योगदान लेकर केन्द्र को क्रियाशील करने का आदेश/निर्देश देने को कृपा की जाय । इसके लिए मैं तदैव श्रीमान् की अमारी रहूँगी ।

दिनांक- 9-12-14

विश्वातभा चिका
मनोरमा देवी

सेवा में,

श्रीमान् भिवेरक,
विद्यार्थी शाल विकास सेवाय विद्यार्थी,
आर्यो सी० सी० बसों
विहार, पटना ।

विषय :- अ-निदेशक कल्याण, जोशी प्रमोद, तहरसा द्वारा अंगनवाड़ी
आर्यो बस सेवा- 4-25/2013 कोरमा देवी फास राज्य सरकार में
पारित आदेश दिनांक 17-11-2014 का अनुसूचि जिला प्रोग्राम
पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा नहीं किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

सम्बन्धित विवेक है कि मैं कोरमा देवी प्रति तंजय कुमार ता०
राज्य, प्रमोद- विद्यार्थी, जिला- मधेपुरा की रहने वाली हूँ । मेरा चयन वतौर
सेवा में मधेपुरा जिला के विद्यार्थी शाल प्रमोद परियोजना अन्तर्गत अंगनवाड़ी केन्द्र,
मुसहरा, टोला- राज्या, केन्द्र कोड ता० 45 हेतु किया गया । श्रीमान् जिला
प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा मुझे डायरी 149-2 दिनांक 02-03-2013 से
चयन मुक्त कर दिया गया, जिसके लिए मैं अ-निदेशक कल्याण, जोशी प्रमोद
तहरसा के न्यायालय में अंगनवाड़ी आर्यो बस सेवा- 4-25/2013 दाखिल की,
जिसमें सुनवाई अन्तर्गत न्यायालय द्वारा दिनांक 17-11-2014 को मुझे सर्व तारिख
आदेश पारित करी है जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा के द्वारा पारित चयन
मुक्ति आदेश को निरस्त करी है और चयन को बरकरार रखी है कार्य करने का
आदेश दिया गया, जिसकी प्रति न्यायालय के डायरी 454 दिनांक 17-11-2014
पुनारी पदाधिकारी, विधि शाखा, मधेपुरा को आवश्यक कार्य हेतु अनुपारित
किया गया, जिसके आदेश में पुनारी पदाधिकारी, विधि शाखा, मधेपुरा द्वारा
डो० सी० नं० 529 दिनांक 21-11-2014 से उक्त आदेश को प्रति जिला प्रोग्राम
पदाधिकारी, मधेपुरा को शाल विकास परियोजना पदाधिकारी, विद्यार्थी शाल को
सुनवाई एवं आवश्यक कार्याय हेतु प्रेषित किया गया तथा मुझे भी इसी सूचना दी
गई ।

श्रीमान् मुझे उक्त आदेश को जानकारी पुनारी पदाधिकारी, विधि
शाखा, मधेपुरा से प्राप्त होने के अन्तर्गत आर्यो न्यायालय के आदेश के
अनुसूचि में शाल विकास परियोजना पदाधिकारी, विद्यार्थी शाल [मधेपुरा] के
कार्यालय जाकर अपना योगदान आवेदन फर के माध्यम से दिनांक 29-11-2014 को
दी किन्तु जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मधेपुरा के द्वारा अ-निदेशक कल्याण,
जोशी प्रमोद, तहरसा के आदेश का अनुसूचि नहीं किया गया तथा मुझे अभी तक
कार्य करने का आदेश नहीं दिया गया, ना ही कोई राशि आवेदन की गई है,
जिससे केन्द्र का तालम बाधित है । जबकि विहार सरकार, तमाल कल्याण विभाग

15

संघिका संख्या- आर.सी.सी.ओ. एम. 50030/22-2012/2354 दिनांक 17-05-2013 से संबंधित आजीव्य प्राधिकार से संबंधित मार्गदर्शिका 2013 के परिच्छेद 10.7 के अन्तर्गत आ-नियंत्रित कल्याण के आदेश के विषय में आजीव्य नहीं होगी, वाक्य इसके विना प्रोग्राम प्रदायिकाओं, मजदूरों द्वारा मार्गदर्शिका से वर्णित प्रावधानों के विरोध आजीव्य न्यायालय प्रोमायू आ-नियंत्रित कल्याण, जौहरी प्रमोशन, सहसा के आदेश का पालन-पालन उल्लंघन करते हुए न्यायालय के आदेश का अमान्य नहीं किया जा रहा है तथा ऐसे कार्य से रोधित रखा जा रहा है जिससे न्याय प्रभावित हो रहा है।

आज्ञा निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों के आलोक में निम्न संगत कार्यवाई करते हुए आ-नियंत्रित कल्याण, जौहरी प्रमोशन, सहसा द्वारा आजीव्य वाद सं-4-75/2013 में पारित आदेश दिनांक 13-11-2014 का अमान्य विना प्रोग्राम प्रदायिकाओं, मजदूरों को पालना-पालन करने का आदेश देने की दृष्टि को न्याय। इसके लिए तद्वै प्रोमायू को आह्वान किया।

अनुक्रमणिका
 1. आ-नियंत्रित कल्याण, जौहरी प्रमोशन, सहसा द्वारा आजीव्य वाद सं-4-75/2013 के पारित आदेश की प्रति का प्रेषण प्रति।

1. आ-नियंत्रित कल्याण, जौहरी प्रमोशन, सहसा द्वारा आजीव्य वाद सं-4-75/2013 के पारित आदेश की प्रति का प्रेषण प्रति।

16119 - 9/1/2015

मुख्यालय, जिला

मनीरमा देवी

1. मनीरमा देवी।
 प्रति - सेवा प्रदायक
 माओ - राजीव
 प्रमोशन - विद्यार्थी
 जिला - मजदूर।
 दिनांक-